

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी (अलवर) राजस्थान

उपखान गिरणी प्रसाद, वामन, लालचाम, श्याम, मुकदमा नं० 2193

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
19/7/19	<p>ज्ञाप यह प्राप्ता हुआ कि वकील द्वारा पेश किया गया रिपोर्ट कापीलिपुली गुरु प्रा.पर उज.रज.ले। वकील फर्मा को रज.पक्षीय सुना गया तथा इवरात रनिव-व जालिस्य एक शपथ-पत्र का इवलात किया गया जिसके अन्तर्गत से प्रथम इवरात वरत एक शपिचा का सलुलत फर्मा के पक्षा में साबित होना प्रांगिग होना है।</p> <p>ज्ञात! आक्रमीय को जज उल्लिखित शर-चपु विषे, दारु से आक्रमी रिपोर्ट 5/9/19 तक प्रतिक्रिया किया जाता है कि व विवादिता हाल प्रा.व. नं 1200 है. वामे आम थानागाजी गिरणी जालवा के व शर-चपु रिपोर्ट के कोर व पक्षासिपु वरत रज. उवरा आक्रमी सत्कम करत ने यदि कोई आपति हो तो नियत तिथी को न्यायालय द्वारा उपस्थित होकर पेश करे। आक्रमीय को जज शोरिसा प्रकम का पक्षीय रिपोर्ट 5/9/19 को पेश हो।</p>	<p>19/7/19</p>

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)